प्रेस नोट दिनांक 09.12.2024 जनपद प्रतापगढ़

साइबर थाना जनपद प्रतापगढ़ ।

साइबर ठगी का पर्दाफाश: बैंक खातों से पैसे उड़ाने वाले गिरोह का भंडाफोड़, सरगना समेत दो गिरफ्तार

-बैंक खातों में मोबाइल नंबर बदलकर ठगों ने लाखों की ठगी को अंजाम दिया

-धोखाधड़ी में फिंगर स्कैनर और डिजिटल उपकरणों का शातिराना इस्तेमाल

-खाताधारकों की जानकारी चुराकर यूपीआई आईडी बनाकर पैसे उड़ाए

-बैंक अधिकारी बनकर डेटा मांगने वालों से नागरिक सावधान रहें

-पुलिस ने गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार कर ठगी का भंडाफोड़ किया

प्रतापगढ़: बैंक खातों से पैसे उड़ाने वाले शातिर ठगों के गिरोह का पर्दाफाश करते हुए प्रतापगढ़ पुलिस ने गिरोह के सरगना समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया है। ये ठग बैंक खातों में मोबाइल नंबर बदलकर, खाताधारकों की जानकारी चुराकर और यूपीआई आईडी बनाकर धोखाधड़ी को अंजाम देते थे। प्रतापगढ़ साइबर क्राइम थाने की टीम ने इस गिरोह के मास्टरमाइंड और उसके साथी को गिरफ्तार कर किया है। यह गिरोह बैंक के बिजनेस करेस्पॉन्डेंट (बीसी) के रूप में काम करते हुए खाताधारकों के साथ धोखाधड़ी करता था।

यह था मामला: साइबर काइम थाना प्रतापगढ़ पर पंजीकृत मु०अ०स० 07/24 धारा 419, 420 भा०द०वि० व 66 (सी) आई०टी० एक्ट पंजीकृत हुआ, जिसमें वादी मुकदमा के यूनियन बैंक ऑफ इन्डिया के खातें में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अपना मोबाइल नम्बर लिंक कराकर धोखे से उसके खाते से दिनांक 24.08. 2023 से 16.10.2023 के मध्य **2,28000/-रू० का आहरण कर लिया गया था,** जिसके सफल अनावरण के लिये पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डा०अनिल कुमार द्वारा साइबर क्राइम थाना को निर्देशित किया गया।

जांच में सामने आया कि आरोपियों ने डिजिटल उपकरणों, जैसे फिंगर स्कैनर और लैपटॉप का इस्तेमाल कर बड़ी चालाकी से लाखों रुपये ट्रांसफर किए। गिरोह ने यूनियन बैंक के बिजनेस करेस्पॉन्डेंट (बीसी) के रूप में अपनी पहचान का गलत फायदा उठाया। पुलिस ने इनके पास से लैपटॉप, फिंगर स्कैनर और अन्य दस्तावेज बरामद किए हैं। आम जनता को पुलिस ने सलाह दी है कि वे अपनी बैंकिंग जानकारी गोपनीय रखें और किसी भी संदिग्ध कॉल या गतिविधि की तुरंत सूचना दें।

कैसे देते थे वारदात को अंजाम? गिरोह के सदस्य बैंक के बिजनेस करेस्पॉन्डेंट होने के कारण खाताधारकों की जानकारी तक पहुंच रखते थे।
डिटेल्स की चोरी: ये लोग बैंक सर्वर के माध्यम से उन खातों की जानकारी चेक करते थे जिनमें बड़ी धनराशि जमा होती थी।
मोबाइल नंबर बदलना: इन खातों में धोखे से अपने या अपने साथी के मोबाइल नंबर लिंक करा लेते थे।
UPI आईडी बनाना:मोबाइल नंबर बदलने के बाद, खाते से जुड़ी यूपीआई आईडी बनाकर पैसे ट्रांसफर कर लेते थे।
फिंगर स्कैनर का उपयोग:डिजिटल उपकरणों, जैसे फिंगर स्कैनर और लैपटॉप की मदद से खाते का उपयोग कर पैसे निकाल लेते थे।

कैसे बचें ऐसी साइबर धोखाधड़ी से: ऐसे साइबर अपराधों से बचने के लिए लोग अपनी बैंकिंग जानकारी गोपनीय रखें, किसी अनजान व्यक्ति को ओटीपी या पिन साझा न करें, और बैंक खाते से जुड़ी हर गतिविधि पर नजर रखें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत बैंक या साइबर क्राइम थाने को दें। सतर्कता और जागरूकता ही सुरक्षा का सबसे अच्छा उपाय है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-
1.अनिल कुमार पुत्र पप्पू निवासी कंगवा थाना बीसलपुर जनपद पीलीभीत
2. प्रेमपाल पुत्र डोरीलाल निवासी चन्दपुरा थाना बीसलपुर जनपद पीलीभीत

बरामदगी- एक अदद लैपटॉप, एक अदद फिंगर स्कैनर डिवाइस, एक अदद एटीएम कार्ड, एक अदद पासबुक, एक अदद पैनकार्ड बरामद हुआ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम में : निरी० गुलाब चन्द्र सोनकर, उ०नि० सुरेन्द्र सिंह,मु०आ०अखिलेश कुमार उपाध्याय,आ० सौरव सिंह, आ० पंकज कुमार शामिल रहे।

अपील- पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डा. अनिल कुमार ने शहरवासियों से अपील की है कि वे जागरूक रहें और साइबर ठगी से बचने के लिए सतर्कता बरतें। यदि किसी को कोई संदेहास्पद गतिविधि दिखाई दे, तो तुरंत साइबर क्राइम थाने या 112 नंबर में संपर्क करे।

थाना कोतवाली नगर-

-लूट के दो अभियोगों से संबंधित कुल 03 अभियुक्त गिरफ्तार

-अन्तर्गत धारा 309 (4) बीएनएस व धारा 303 (2) बीएनएस से संबंधित कुल 03 अभियुक्तों को लूट के सामान के साथ गिरफ्तार किया गया

-02 अदद मोबाइल व चोरी के कुल 6320/ रूपये बरामद

-सरोज चौराहा थाना कोतवाली नगर से गिरफ्तार किया गया

प्रतापगढ़ ।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) दुर्गेश कुमार सिंह एवं क्षेत्राधिकारी नगर शिव नारायण वैश के कुशल मार्गदर्शन में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा लूट के दो अभियोगों से संबंधित कुल 03 अभियुक्तो को गिरफ्तार किया गया । लूट के सामान व घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद की गई ।

घटनाओं का संक्षिप्त विवरण-

1- दिनांक 06.12.2024 को भैरोपुर बस अड्डा के पास मोटर साइकिल सवार नकाबपोश 02 अज्ञात बदमाश एक महिला का बैग छीनकर भाग निकले थे । महिला द्वारा बताया गया कि बैग में 1000/- रूपये नकद व मोबाइल था । जिस संबंध में तहरीर पर मु0अ0सं0- 671/2024 धारा 309 (4) बीएनएस व मु0अ0सं0 672/2024 धारा 303 (2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ बनाम अज्ञात मोटर साइकिल सवार पंजीकृत किया गया ।

2-दिनांक 08.12.2024 को जीजीआईसी कॉलेज के बगल वी0के0 ट्रेडर्स के पास से ग्राम बाघराय कस्बा थाना बाघराय निवासिनी महिला से मोटर साइकिल सवार नकाबपोश 02 अज्ञात बदमाश छीन कर भाग निकले थे । महिला द्वारा बताया गया कि बैग में 11हजार रूपये नकद व दस्तावेज थे । जिस संबंध में तहरीर पर मु0अ0सं0 672/2024 धारा 303 (2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ बनाम अज्ञात मोटर साइकिल सवार पंजीकृत किया गया ।

उपरोक्त दोनों घटनाओं के शीघ्र अनावरण एंव शातिर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ द्वारा टीमे गठित कर संबंधित को कड़े निर्देश दिये गये थे ।

इसी क्रम में आज दिनांक 09.12.2024 को स्वॉट टीम प्रभारी उ0नि0 सुनील कुमार यादव मय हमराह एवं उ0नि0 विनय कुमार सिंह थाना कोतवाली नगर मय हमराह द्वारा संयुक्त रूप से विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान इलेक्ट्रॉनिक/भौतिक साक्ष्यों के आधार पर पतारसी, सुरागरसी करते हुए मु0अ0सं0- 671/2024

धारा 309 (4) बीएनएस व मु0अ0सं0 672/2024 धारा 303 (2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर से संबंधित कुल 03 अभियुक्तों को सरोज चौराहा थाना कोतवाली नगर गिरफ्तार किया गया। मुकदमा उपरोक्त में धारा 317 (2) बी0एन0एस0 की बढोतरी की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम-

1- अभिषेक सिंह उर्फ अंशू सिंह पुत्र राजेश सिंह निवासी करनपुर, रोडवेज बस अड्डा के सामने थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष

2-आशीष कुमार शुक्ला पुत्र शिवमूर्ति शुक्ला निवासी रामजीपुरम, देवकली थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 36 वर्ष

3- सुमित मौर्या पुत्र स्व0 जगन्नाथ मौर्या निवासी करनपुर, देवकली थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष

बरामदगी-

1- दो मोबाइल व चोरी के कुल 6320/ रूपये

2- दो मोटरसाइकिल (एक अदद अपाचे आर0टी0आर0 व एक अदद मोटर साइकिल प्लेटिना)

पुलिस टीम-

स्वॉट टीम- स्वॉट टीम प्रभारी उ0नि0 सुनील कुमार यादव मय हमराह उ0नि0 दिनेश सिंह, हे0का0 पंकज दूबे, का0 प्रवीण कुमार, का0 श्रीराम सिंह, का0 जागीर सिंह, का0 सनोज कुमार, का0 राजेन्द्र कुमार, का0 संजय सिंह, का0 आशुतोष पाण्डे, का0 अनुपम पाथरे।

थाना कोतवाली नगर- उ0नि0 विनय कुमार सिंह उ0नि0 मय हमराह का० अमित शुक्ला, का0 सचिन कुमार व का0 अभिषेक वर्मा थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली नगर-

चोरी के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त गिरफ्तार
-चोरी की मोटर साइकिल बरामद

प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) दुर्गेश कुमार सिंह एवं क्षेत्राधिकारी नगर शिव नारायण वैश के कुशल मार्गदर्शन में थाना कोतवाली नगर उ0नि0 बृजेश कुमार मय हमराह कां० निखिल शुक्ला द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान मु0अ0सं0 670/24 धारा 303(2)

BNS थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ व बढोत्तरी धारा 317 (2) बीएनएस से संबंधित 01 अभियुक्त यादवेन्द्र तिवारी पुत्र आदित्य कुमार तिवारी निवासी खजुरनी थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ उम्र 30 वर्ष को रामलीला मैदान से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम-
1- यादवेन्द्र तिवारी पुत्र आदित्य कुमार तिवारी निवासी खजुरनी थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ उम्र 30 वर्ष

बरामदगी- चोरी की एक मोटर साइकिल (TVS STAR CITY PLUS)

पु लस टीम- उ0नि0 बृजेश कुमार मय हमराह कां० निखिल शुक्ला थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

थाना लालगंज-

-उ0नि0 दीपक कुमार यादव द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

प्रतापगढ़।
पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में आज दिनांक 09.12.2024 को थाना लालगंज से उ0नि0 दीपक कुमार यादव मय हमराह द्वारा मु0न0- 1296/20 अ0सं0-18/94 धारा 323, 504 भादवि से संबंधित 01 वारण्टी अभियुक्त उमई उर्फ उमाशंकर पुत्र दुलीचन्द्र निवासी ग्राम देवापुर थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार वारण्टी का नाम-
उमई उर्फ उमाशंकर पुत्र दुलीचन्द्र निवासी ग्राम देवापुर थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़

पुलिस टीम- उ0नि0 दीपक कुमार यादव मय हमराह का0 छत्रपाल थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ।